



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० नौगढ़, सिद्धार्थनगर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०-666/2026

परिवाद सं०-13489/2021

शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव बनाम अब्दुल जमीर

धारा- 138 एन.आई.एक्ट।

थाना- लोटन,

जिला- सिद्धार्थनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक- 17/03/2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त अब्दुल जमीर की ओर से परिवाद सं०-13489/2021 अन्तर्गत धारा- 138 एन.आई.एक्ट, थाना- लोटन, जिला- सिद्धार्थनगर में रिहा होने हेतु याचना बावत प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। मामले में पक्षकारों के मध्य पैसों का विवाद है। अभियुक्त ने स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त अब्दुल जमीर का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-बीस हजार रुपये का स्वबन्ध पत्र निष्पादित करने एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(धम्म कुमार सिद्धार्थ)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
नौगढ़, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ०कोड-यू०पी० 3504